सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय,
..........University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.44(1)आरबी/2012/771
दिनांक : जनवरी, 2020

आदेश

प्रो0 अश्वनी कुमार बंसल को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.44(1)आरबी/2012/834 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, के लिए कुलपति नियुक्त किया गया। प्रो0 अश्वनी कुमार बंसल द्वारा कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 02.02.2017 को ग्रहण किया गया। प्रो0 बंसल के कुलपति पद का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 01.02.2020 को पूर्ण होने जा रहा है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2012 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2012 (यथासंशोधित 2017) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो0 जगदीश प्रसाद यादव, कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था अंतर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0

(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.44(1)आरबी/2012/772 दिनांक : 30 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो0 अश्वनी कुमार बंसल, कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
5. प्रो0 जगदीश प्रसाद यादव, कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
6. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
7. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान